

LOK SABHA

Saturday, February 28, 1970/Phalguna 9,
1891 (Saka)

The Lok Sabha met at Seventeen of the
Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

RE: PRIVY PURSES AND ADJOURN-
MENT OF HARYANA ASSEMBLY

श्री मधु लिमये (मुंबेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है—

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : There is no business before the House. (Interruptions)

श्री मधु लिमये : नियम 31, 204, 340 और 376 के तहत ।

घाज जो कार्य-सूची परिचालित की गई है, इसमें मैं सिर्फ दो मद देख रहा हूँ : एक, श्रीमती इन्दिरा गांधी भ्रगले साल का बजट पेश करेगी और दूसरे, श्रीमती इन्दिरा गांधी भ्रगले साल के लिए वित्त विधेयक पेश करेगी । लेकिन मैं इसमें राजाघों के प्रिवी पसिज, निजी कोषों, को समाप्त करने का विधेयक नहीं देख रहा हूँ, जिस के बारे में हम लोगों को वचन दिया गया था कि बजट पेश करने से पहले वह पेश कर दिया जायेगा । (व्यवधान) आखिरी क्षण तक

मैं ने इन्तजार किया यह सोच कर कि हो सकता है कि कार्य-सूची में बजट से पहले श्री चव्हाण या श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से कोई विधेयक हो । (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह वचन-मंगी सरकार है । यह बजट कैसे पेश कर सकती है ?

दूसरे, हरियाणा में सविधान की हत्या हो गई है । (व्यवधान) इसलिए संविधान की हत्या करने वाली सरकार को बजट या वित्त विधेयक पेश करने का न नैतिक अधिकार है और न सांविधानिक अधिकार है । (व्यवधान) मैं मांग करता हूँ कि नियम 340 के तहत...

SHRI RANDHIR SINGH : We are 50 out of 80. We have got the majority. (Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बंठ जायें । (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मुझे नियम 340 के तहत यह प्रस्ताव करने दीजिये कि सदन की कार्यवाही को तत्काल स्थगित किया जाये और हरियाणा में बंसीलाल की सरकार को तोड़ कर राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये । इसके अलावा श्री चव्हाण पहले राजाघों के प्रिवी पसिज के बारे में विधेयक पेश करें और बाद में प्रधान मंत्री बजट और वित्त विधेयक पेश करें । (व्यवधान)

श्री छटल बिहारी चाबपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

SHRI RAM KISHAN GUPTA (Hissar) : I should be allowed to say something. This is a very serious matter. (Interruptions)

MR. SPEAKER : This is not a regular sitting except that only Budget is to be presented today. (Interruptions)

Order, order.

श्री रवि राय (पुरी) : अगर कोई समाधान स्थिति पैदा हो जाये, तो आपको उस प्रश्न को यहां उठाने की इजाजत देनी चाहिए। चूंकि आज हरियाणा में एक असाधारण स्थिति है, इसलिए आप इस मामले को सदन में उठाने दीजिये। (व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : हरियाणा में कैसी सरकार बने, इसका भी सम्बन्ध बजट से है। (व्यवधान)

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : No-Confidence motion was moved and admitted and time was also fixed for discussion. After that, the Haryana Government pressed that the Assembly should be adjourned *sine die*. That was unconstitutionally accepted. That is an unprecedented situation and a rape on the Constitution.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे मिला था और मैंने इस सम्बन्ध में आपकी अनुमति मांगी थी। यह कहना ठीक नहीं है कि यह सत्र नियमित सत्र नहीं है। हम एक सदन के नाते बैठे हैं और इस सदन में बजट पेश किया जाना है। यह सदन देश में लोकतंत्र का आधार है। सदन के सब सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। अगर देश के किसी भाग में संविधान का उल्लंघन होता है, संसदीय लोकतंत्र पर धावा किया जाना है, तो यह सदन भूक दशक नहीं रह सकता। मेरा निवेदन है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है आप उन पर चर्चा करने का मौका दीजिए। वह चर्चा किस रूप में हो इस पर आप विचार करें लेकिन बजट पेश होने वाला है यह कह कर... (व्यवधान)... साम्य

आप यह कहेंगे कि यह मामला विधान सभा का मामला है लेकिन यह पहला ही भ्रवसर नहीं है जब हमने विधान सभाओं में हुई घटनाओं के बारे में चर्चा की है। और जैसा कि डा० राम सुभग सिंह जी ने कहा कि आपके हाथ में हमारे अधिकार सुरक्षित हैं लेकिन क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि आप इस सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकार करें और फिर प्रधान मंत्री के कहने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें? यह तो नहीं हो सकता है।

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I would like to know whether the Prime Minister is going to dissolve this House in the same manner if she loses her majority here.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : I want to raise a point of order. You please permit me, Sir, to raise a point of order. I am quoting a rule. I want to invite your attention to Rule 205.

MR. SPEAKER : On what subject ?

श्री कचर लाल गुप्त : जैसा आपने कहा कि इस समय बजट के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है लेकिन हरियाणा में बैंक डाउन हो गया है, वहां पर सरकार माइनारिटी में है।... (व्यवधान)... बसोलाल मिनिस्ट्री को बिसमिश्च करना चाहिए, यह हमारी मांग है।... (व्यवधान)...

MR. SPEAKER : Will you please sit down ? So far as this question is concerned,...

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : Important points which have been raised must be answered, Sir.

MR. SPEAKER : What has gone wrong with you, Mr. Sondhi ?

SHRI RAM KISHAN GUPTA rose-

MR. SPEAKER : Your leader has already spoken.

श्री कंवर लाल गुप्त : वहाँ पर पुलिस और गुंडा राज्य है। वहाँ पर कोई वैधानिक सरकार नहीं है। 306 के मुताबिक उस सरकार को डिसमिस करना चाहिए।....(व्यवधान)....

MR. SPEAKER : Two points have been raised. So far as...

श्री राम सेवक यादव : प्रीवी पर्स का तो इस बजट से सीधा सम्बन्ध है।..(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप बंठ जाइये ।
....(व्यवधान)....

श्री राम किसान गुप्त : वहाँ पर पुलिस की हड़कत है।(व्यवधान)....

MR. SPEAKER : Order please. Will you please sit down ?

श्री यज्ञवल्त शर्मा (प्रमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से यदि आप लोगों को दबायेंगे तो वह तरीका ठीक नहीं होगा। जब एक तरफ कानून और विधान की हत्या हो रही हो, आप यहाँ पर हमको चुप कराकर बिठा लें और सदस्यों को ठीक उत्तर भी न दिया जाये सब में जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर सदस्यों की रक्षा कौन करेगा ?(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : उत्तर तो मैंने देना है, आप सुनें तो।।.. (व्यवधान)....

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वहाँ के लिए बख्शाण साहब की जिम्मेदारी नहीं है ?
... (व्यवधान)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरयाणा में जो कुछ हुआ है उसके बारे में सरकार से शर्मा की मांग की गई है.. (व्यवधान)....

श्री यज्ञवल्त शर्मा : ऐसे काम नहीं चलेगा ।
... (व्यवधान)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हरयाणा के अवनर को इस सदन के सामने बुलाया जाये

और उनसे पूछा जाये कि हरयाणा में क्या हो रहा है।..(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों को गर्मी घाई हुई है। What has gone wrong ?

SHRI RAM KISHAN GUPTA rose-

MR. SPEAKER : Mr. Gupta, you are not going to solve Haryana problem by shouting and excitement.

श्री यज्ञवल्त शर्मा : हम चिल्लाना नहीं चाहते हैं लेकिन आप इस सदन की तसल्ली कराइये।

MR. SPEAKER : Two points have been raised. As far as privy purses are concerned... (Interruptions)

श्री कंवर लाल गुप्त : जैसा हरयाणा में हुआ, बताइये, दोसा घोर कहां हुआ है ?

श्री यज्ञवल्त शर्मा : हम विधान की दृष्टि से समाधान चाहते हैं। आप कृपा करके हमारा समाधान कराइये। ... (व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : एक दम गर्मी कैसे घाई गई, क्या बात है... (व्यवधान)... आप तो सुबह आराम करके आये हैं, तरौताजा होकर आये हैं, फिर क्या बात है ?(व्यवधान)....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम प्रधान मंत्री के रंग में भंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हरयाणा में जो कुछ हुआ है, उसकी चर्चा कब होगी, किस तरह से होगी, यह बताइये ?

अध्यक्ष महोदय : अब जो बात आपने कही है, उसका जवाब मुझे जरूर देना होगा।

Two points had been raised. The point that has been raised about the Budget was raised last year, and the Speaker gave a ruling on that. So far as the Privy Purses are concerned, I can only say this, that there is nothing to prevent any Bill coming to this House any time. And, it is up to the Home Minister to make a statement

now clarifying the whole position or later on. It is up to him. So far as the Budget is concerned, it will come. So far as Haryana is concerned, it is a question that can be considered at the next meeting on Monday, if a regular motion is brought to convince me. How can it come up before the House today? After all, this is not a question purely political between party and party. It is a question between a legislature, and a legislature. Also, lot of constitutional background has been there against this. If we start discussing each other's decision and conduct every time and questioning them, how far can we do it? This is a subject to be studied. You may kindly send your motion.

श्री मधु निमये : यहां पंजाब की चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश की चर्चा हुई है सविधान की हत्या होने के बाद। इस सदन को चर्चा करने का अधिकार है।

श्री कंबरलाल गुप्त : इस में डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिये। जब यहां पर पंजाब और मध्य प्रदेश की चर्चा हो चुकी है, तब इस में क्या प्राप्ति हो सकती है।

MR. SPEAKER : You may kindly send your motion. Then I will see. I request you to apply your mind (*Interruption*)

SHRI KANWAR LAL GUPTA rose-

MR. SPEAKER : Mr. Kanwar Lal Gupta, what a bad habit you have developed? I would request you to look into the rules and the Constitution. Please look into the rules against this background. If you bring up anything which appears reasonable to me I will certainly have it. Now, I only request this. After all, we are to sit for three long months. I had a regular medical check-up. I am all right. But you must be kind to the Chair and not keep the Chair always on the nerves. As a human being, I am worried about your health also. Don't get excited; take in the normal manner, in the normal way. Shri Chavan will make a statement.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI B. CHAVAN) : Mr. Speaker, Sir, very naturally, a point has been raised and I would like to clarify Govern-

ment's position about the steps to be taken about the Privy Purses. (*Inter-upton*) I had made it clear here on more than one occasion that Government had decided to abolish privy purses and privileges of Rulers of former Indian States as these were incompatible with an egalitarian social order. I had also said that details for giving effect to the decision of Government were being worked out.

Since the Resolution was adopted in the other House, we have had two discussions with the representatives of the Rulers during which I have made it clear that it was the intention of Government to bring forward necessary legislation in the Budget Session of Parliament this year for the abolition of Privy Purses and privileges and that some transitional arrangements were being examined to enable the Rulers to adjust themselves to changed circumstances.

In this Address to Parliament on the 20th February, the President has announced the decision of Government to abolish Privy Purses and privileges and to introduce legislation to give effect to this decision. With this authoritative statement, a decisive step has been taken towards the implementation of the Resolution passed by the other House.

Sir, I have only to add that the necessary legislation will be introduced in Parliament in the current session.

MR. SPEAKER : The Prime Minister.

17.18 hrs.

GENERAL BUDGET, 1970-71

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Sir, I rise to present the Budget for the year 1970-71. The annual Budget is the most important instrument through which we implement our successive Plans for development.

2. Before I proceed to delineate the broad features of our present economic situation and of the Budget, I should like